न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1470/2026

CNR No.**UPRN01- 003732-2026**

1. सनी उर्फ कपिल पुत्र दिनेश पाण्डेय, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम कोटरा मकरन्दपुर, थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर। ...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ... प्रतिपक्षी

सत्र वाद सं०–918/2026
मु०अ०सं०–07/2026
धारा–103(1),190,238(A),140(1),191(2),191(3),
61(2) बी०एन०एस०
थाना–सजेती, कानपुर नगर।

आदेश

1. सत्र वाद सं०–918/2026, मु०अ०सं०–07/2026, धारा–103(1),190,238(A), 140(1),191(2),191(3),61(2) बी०एन०एस०, थाना–सजेती, कानपुर नगर के मामले में आवेदक/अभियुक्त सनी उर्फ कपिल के द्वारा जमानत हेतु जमानत आवेदन दिया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा रामकिशोर सिंह सेंगर के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह लाल शाह का पुरवा, थाना सचेण्डी, कानपुर नगर का मूल निवासी है। दिनांक–01.12.2025 को समय करीब दिन के लगभग 11 बजे ग्राम पान्डेपुर के रामगंगा नहर पुल के नीचे एक अज्ञात लड़के का शव, जिसके हाथ व गला मफलर से बंधे हुये व सिर पर कनपटी के पास गहरी चोट के निशान थे, को किसी अज्ञात के द्वारा फेका गया था, उसे पूरा विश्वास है कि इस अज्ञात लड़के की उम्र करीब 25 वर्ष की हत्या करके अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यहाँ फेक दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3. सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले में रामकिशोर सिंह सेंगर के द्वारा थाने पर फौती सूचना दी गयी है तथा मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि शव मिलने व कोई फौती सूचना रिपोर्ट व कोई जी०डी० आम व खास थाना सचेण्डी की दिनांक–01.12.2025 की न होने से अभियोजन कथानक संदेहास्पद है तथा मोर्चरी में किया गया पंचायतनामा दूषित है। एक माह पश्चात् दिनांक–03.01.2026 तक मृतक के पिता ने अपने पुत्र के संबंध में कोई गुमशुदगी अथवा कोई प्राथमिकी पंजीकृत न कराने से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद है। उसे षड़यंत्र के तहत फँसाया गया है। अभियुक्त अजय पाण्डेय व पवन पाण्डेय ने अपने बयानों में उसकी उपस्थिति व कोई कृत्य नहीं बताया है। स्वतंत्र गवाह प्रहलाद यादव ने अपने बयानों में उसकी उपस्थिति व कोई कृत्य नहीं बताया है। मृतक के मुँह में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कपड़ा ठूसने का तथ्य विवेचक द्वारा स्व–विवेक से लाया गया है। पत्रावली पर उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उसकी उपस्थिति प्रश्नगत घटनास्थल, नहर पुल सचेण्डी, पाण्डेयपुर गांव, कार आटो आदि में भी विवेचक द्वारा नहीं पायी गयी है। विवेचना में ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं पाया गया, जो अभियुक्त ने मृतक के मुँह में ठूसा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कपड़ा ठूसे जाने का कोई सिमटमस नहीं पाया गया है। गायत्री पाण्डेय व सुघर यादव का बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० अंकित नहीं किया गया है। यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। तद्नुसार उन्होंने अभियुक्त को जमानत पर

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.04 13:40:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक लोकेन्द्र की हत्या के बाबत आपराधिक षड़यंत्र की रचना की तथा उसके द्वारा ही मृतक का हाथ बांधा गया व उसका एक हाथ मौके पर पकड़ा गया और सह अभियुक्त के द्वारा लोकेन्द्र की गोली मारकर हत्या कारित की गयी है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि मामले में वादी मुकदमा राम किशोर सिंह सेंगर के द्वारा अज्ञात व्यक्ति उम्र 28 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या करके उसके शव को फेक दिये जाने के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने पर दर्ज कराया गया है। विवेचना के दौरान साक्षी नीतू बाबू ने विवेचक को बताया कि कपिल पाण्डेय उर्फ सनी पाण्डेय ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लोकेन्द्र से अपनी बहन गायत्री के बारे मे पूछताछ की और इसी बात को लेकर उनके मध्य बहस होने लगी तो सह अभियुक्त अजय ने एक–दो थप्पड़ लोकेन्द्र के मार दिये। वह डर के कारण भाग गया था। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मृतक का हाथ बांधने तथा मृतक का एक हाथ मौके पर पकड़ने तथा सह अभियुक्त अजय पाण्डेय के द्वारा मृतक को तमंचे से गोली मारकर हत्या कारित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु फायर आर्म्स से हेमरेज व शॉक के कारण हुई थी। मामले में सह अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद कराया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.07.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003